सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 11/2016

श्रीमति सतवंतकौर पत्नि श्री परमेन्दर पाल सिंह जाति सिख निवासी नृसिंहबार बरनपुर जिला–बृदमान वेस्ट बंगाल .... वादीया

बनाम

1– श्री हरजीतसिंह पुत्र श्री परमेन्दर पाल सिंह जाति सिख निवासी पुष्करगंज गली नंबर 1 ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

2– राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान् तहसीलदार साहब, ब्यावर जिला .... प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 29-08-18

अंतिम निर्णय

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 22–06–2018 को विभाजन की अंतरिम डिक्री पारित कर वादीगण का वास्ते विभाजन लाया गया वाद स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया गया और प्रकरण में इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की गई कि– " वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0 में वर्णित खसरा नंबर 523/2 रकबा 01–07–11, 535 रकबा 01–01–00 में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा परमेन्द्र पाल सिंह पुत्र हरपालसिंह के स्थान पर वादिया का नाम राजस्व अभिलेखों दर्ज किया जावे। इसी प्रकार खसरा नंबर 534/2 रकबा 02–10–00 में वादीया को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा संख्या 534/2 में परमेन्द्रपालसिंह के जो इन्द्राज दर्ज चले आ रहे है, उसे विलोपित किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खसरा संख्या 534/2 में उनके उक्त हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादीया एंव प्रतिवादी 1 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एंव कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते है, कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि तब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे, तब तक बेचान हस्तातंरण संबंधी कार्यवाही नहीं करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/4091 दि0 02–08–2018 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर स्वयं वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया जिन्होंने बंटवारा प्रस्ताव सहमति ज़ाहिर करते हुए यथाप्रस्ताव बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना से बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित खसरा संख्या 534/2 रकबा 01–05–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को वादिया सतंवतकौर पत्नि परमेन्दर पाल सिंह जाति सिख पुष्करगंज ब्यावर के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 534/5 रकबा 01–05–00 जिसे राजस्व नक्श ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 हरजीसिंह वल्द परमेन्दर पाल सिंह जाति सिख निवासी 48, पुष्करगंज ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वे अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त एक–दूसरे की भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एव